हमारा प्रयास - सबको आवास

श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

श्री शांति कुमार धारीवाल
मंत्री, स्वायत्त शासन,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान सरकार

राजस्थान आवासन मण्डल

"मण्डल कार्मिकों हेतू विशिष्ट पंजीकरण योजना 2021"

अरावली विहार, भिवाड़ी

उच्च आय वर्ग के आवासो हेतु

RERA Reg. No. : RAJ/P/2021/1599
RERA Address : 2nd & 3rd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
RERA Website : http://rera.rajasthan.gov.in/

आवेदन अवधि

'मंडल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना'

मूल्य रु0 300 + 54 = 354/–

राजस्थान आवासन मण्डल

"मण्डल कार्मिकों हेतु विषिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021"
अरावली विहार, भिवाड़ी
उच्च आय वर्ग के 9 आवासों हेतु

पंजीकरण पुस्तिका

आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का

कार्यक्रम

1.	ऑन लाइन आवेदन–पत्र उपलब्ध	:	11.10.2021 से
2.	ऑन लाइन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	:	12.11.2021 तक
3.	योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान		**अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।**
4.	अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि		
5.	वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान		
6.	वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान		

सम्पर्क सूत्र

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–तृतीय
राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ,
ज्योति नगर, जयपुर
फोन : 0141 –

उप आवासन आयुक्त, वृत–अलवर
राजस्थान आवासन मण्डल, बस स्टेण्ड के पास
मनु मार्ग, अलवर
फोन : 0144 – 2332612

आवासीय अभियन्ता, खण्ड–भिवाड़ी
आषियाना ग्रीन के सामने भिवाड़ी
पिन कोड 301019
फोन : 01493 – 294484

विशेष :

1. **रेरा पंजीकरण संख्या–RAJ/P/2021/1599**
2. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** पर ऑनलाईन भरे जायेंगे। इस हेतु आवेदन पत्र की कीमत रूपये 354/– मे पंजीकरण राशि व प्रोसेसिंग शुल्क सम्मिलित कर सीधे ही अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड मार्फत जमा करायी जा सकती है या चालान प्रिन्ट कर **AU SMALL FINANCE BANK LTD.** बैंक के खाता संख्या 1000000000000159 IFSC कोड **AUBL0002207** में **AU SMALL FINANCE BANK LTD.** बैंक की भिवाड़ी शाखा में जमा करायी जा सकती है।

ध्यान देने योग्य आवष्यक बिन्दु

यह सुनिष्चित कर लें कि :–

1. पंजीकरण की पूर्ण राषि व्दसपदम आवेदन करते समय फार्म के साथ जमा करानी होगी। आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन स्केन कर अपलोड किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्न है :–

- आय का प्रमाण पत्र
- आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो
- सम्बंधित प्रमाण पत्र
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एंव निवास के पते का प्रमाण पत्र यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राषन कार्ड, बिजली/पानी/टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटो युक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।
- कोई अन्य सूचना जो प्रपत्र में मांगी गई है।

राजस्थान आवासन मण्डल

''मण्डल कार्मिकों हेतु विषिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021''

अरावली विहार, भिवाड़ी

प्रस्तावना :

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल **अधिनियम – 4 वर्ष 1970** के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है।

मण्डल द्वारा भिवाड़ी शहर में ग्राम मिलकपुर गूर्जर की भूमि अवाप्त कर अरावली विहार योजना विकसित की गई है। अरावली विहार योजना में तीन फेजो के अन्तर्गत 1211 स्वतंत्र आवास एंव 2327 फ्लेट्स का निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया गया है। अरावली विहार योजना के सक्टर 11 में मण्डल कार्मिकों हेतु पूर्व में उच्च आय वर्ग के 213 स्वतंत्र आवास एंव मध्यम आय वर्ग 'ब' के 78 स्वतंत्र आवासों का निर्माण करवाया जा चुका है। सैक्टर 11 में 9 भूखण्ड शेष है, जिनके लिए यह पंजीकरण योजना प्रारम्भ की जा रही है।

आवासों से सम्बंध्ति विवरण :–

क्र. सं.	आय वर्ग	संख्या	भूखण्ड का माप (मीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1.	उच्च आय वर्ग	09	8.00 X 16.00	46.93	40.00

नोट :– आवासों की संख्या में आवष्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

आवासीय योजना की विषेषताऐं :–

यह आवासीय योजना अरावली विहार, भिवाड़ी में मंषा चौक के पास स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :–

1.	मंषा चौक	0.5 कि.मी.
2.	भिवाड़ी बस स्टेण्ड	1.0 कि.मी.
3.	एन.एच. 8 (धारूहेड़ा)	3.00 कि.मी.
4.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	60.0 कि.मी.
5.	रेवाड़ी रेल्वे स्टेशन	30.0 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्ते :–

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगाः–

1. मण्डल द्वारा कार्यरत कर्मचारी को आवासन मण्डल द्वारा निर्मित आवास का आवंटन/विक्रय किया जाता है। जो मण्डल कार्मिक/अधिकारी प्रथम बार मण्डल में आवास आवंटन बाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हे प्रथम वरियता प्रदान की जावेगी। इसके लिए इस आष्य का विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि उन्हे प्रथम

वरियता/आवंटन किस शहर में किया जावे। जिन कार्मिकों/अधिकारियों को शहर विषेष में आवंटन नहीं हुआ है परन्तु पूर्व में किसी अन्य शहर की योजना में आवास आवंटन किया जा चुका है उन्हे द्वितीय वरियता प्रदान की जावेगी।

2.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या चाछ होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)

(ब) आवेदक के पास भारतीय विषिष्ट पहचान पत्र ''आधार कार्ड' (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)

3. यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक, जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है, और वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत् आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन पत्र में करेगा तथा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।

4. इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से 2 आय वर्ग ऊपर तथा 2 आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेगें। इस स्थिति में परियता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आय वर्ग के ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग से नीचे के आय वर्ग के आवेदक को तृतीय वरीयता दी जावेगी।

5. इस योजना में तालिका–1 में दर्षाये गये आवास हेतु आवेदक की वार्षिक आय एंव पंजीकरण राषि निम्नानुसार होंगी। जिसका विवरण निम्नांकित सारणी के अनुसार है :–

क्र. स.	आय वर्ग	वार्षिक आय (रूपये में)	पंजीकरण राषि (रूपये में)	प्रोसेसिंग फीस (रूपये में)	कुल जमा योग्य राषि (रूपये में)
1	उच्च आय वर्ग	1800001.00 एंव अधिक	120000.00+5 प्रतिषत जी.एस.टी 126000.00	2000.00+18 प्रतिषत जी.एस.टी 2360.00	128360.00

नोट – आवेदन शुल्क रू. 300/- + 18% GST कुल राशि 354/– कुल जमा योग्य राशि के साथ जमा करावें।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं।

7. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रषासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसोसिंग फीस उच्च आय वर्ग के आवेदक हेतु राषि रू. 2000.00 + 18 प्रतिषत जी.एस.टी. राषि देय होगी एंव उपरोक्त देय प्रोसोसिंग फीस का किसी भी आवेदक को प्रनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जायेगा।

8. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी।

लॉटरी के बाद शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राषि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।

9. पंजीकरण नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति दोनों में करवाये जा सकते हैं। किराया क्रय पद्धति में 156 सम मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। किस्तों की राषि पर जी. एस.टी. पृथक से नियमानुसार देय होगा।

10. आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राषि तीन किष्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किष्त पूर्वग्रहण राषि–पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किष्त उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किष्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने कि तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी होगी।

तालिका –4

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राषि किष्त (रूपये में)			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1	उच्च आय वर्ग	100000	100000	100000	300000

11. पूर्वग्रहण राशि पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किशत की राशि पर नियमानुसार जी. एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।

12. **रिफण्ड**

(i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

(ii) राजस्थान आवासन मण्डल की 243वीं बैठक दिनांक 21.09.2020 के विचार बिन्दु संख्या 243.43 के निर्णय अनुसार सफल आवेदक घोषित होने के पष्चात् कब्जा राषि जमा कराने से पूर्व यदि आवेदक जमा राषि का रिफण्ड चाहता है तो उच्च आय वर्ग श्रेणी में अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिषत तक मय जी0एस0टी0 कटौती का निर्णय लिया गया है।

13. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।

14. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे जिनका आवास के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के हागें :–

(क) **लीज राशिः** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।

(ख) किराया क्रय अग्रिम जमा राषि : यह राषि जो कि आवास की कुल कीमत का 5 प्रतिषत है, मण्डल के पास धरोहर के रुप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राषि समय पर जमा न कराने की दषा में जब्त की जा सकती है। यह राषि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रुप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित/लौटा दी जावेगी।

(ग) **अन्य खर्चे :**

;पद्ध निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए 242वीं बोर्ड बैठक में अतिरिक्त भूमि का भी आवंटन पत्र की दर से लिये जाने का प्रावधान किया है, नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

;पपद्ध अन्य विविध खर्चे, जो कि मण्डल समय समय पर निर्धारित करें।

15. मण्डल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

16. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे–आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

17. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छुपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार पंजीकरण राषि जब्त करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

18. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।

19. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

20. पंजीकरण की राशि आवेदनकर्ता website - www.urban.rajasthan.gov.in/rhb के माध्यम से निर्धारित पंजीकरण शुल्क वदसपदम कुल रूपये 354/– (पंजीकरण राशि रूपये 300/– + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 54/–)जमा करवा कर निर्धारित तिथि तक आवेदन अपलोड कर सकता है। निर्धारित तिथि के पष्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

21.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित आवासीय अभियन्ता, आषियाना ग्रीन के सामने, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भिवाड़ी पिन कोड 301019 कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नही देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मण्डल द्वारा कोई आपत्ति

स्वीकार नही की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लेवें।

(ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्य जन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय–समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाईट **www.urban.rajasthan.gov.in/rhb** के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लेवें।

22. वित्तीय सुविधायें**:** आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत् आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।

23. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा–आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक–एक स्व–हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति ऑनलाईन संलग्न करना होगा।

24. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 7 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।

25. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट अंकित की जानी चाहिए, यदि नहीं करता है तो उसे किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत माना जायेगा।

26. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यो को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमानुसार पंजीकरण राषि जब्त करते हुए शेष राषि लौटा दी जायेगी।

27. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये षपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एंव आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण बिन्दुः

i. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।

iii. लाटरी से जो भी आवास आवंटित होगा उसे परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।

iv. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।

v. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख–रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।

vi. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद भिवाड़ी शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।

vii. योजना में एक व्यक्ति का स्वतंत्र अथवा सयुंक्त रूप से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा।

viii. आवासन मण्डल की योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।

ix. आवेदन पत्र पुस्तिका (ठववासमज) का राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट्**.urban.rajasthan.gov.in/तीइ** पर अवलोकन किया जा सकता है।

GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

1. Clay Flyash Brick Masonry in Foundations & Plinth.
2. R.C.C. work in slab, plinth/lintel band.
3. Clay Flyash Brick Masonry in Superstructure.
4. Plaster in Cement sand mortar.(1:6)
5. Vitrified Tiles Flooring.
6. Pressed Steel Door Frames & Hollow Sheet Section Windows.
7. Flush door shutters with steel fittings.
8. Distempering in Interior paint and acrylic paint on Exterior walls.
9. POP on Internal Walls and white cement based putty on Exterior walls.
10. Steel Kitchen Sink.
11. Granite Kitchen table top.
12. Concealed PVC conduits with stranded (flexible) copper wire, MCBs.

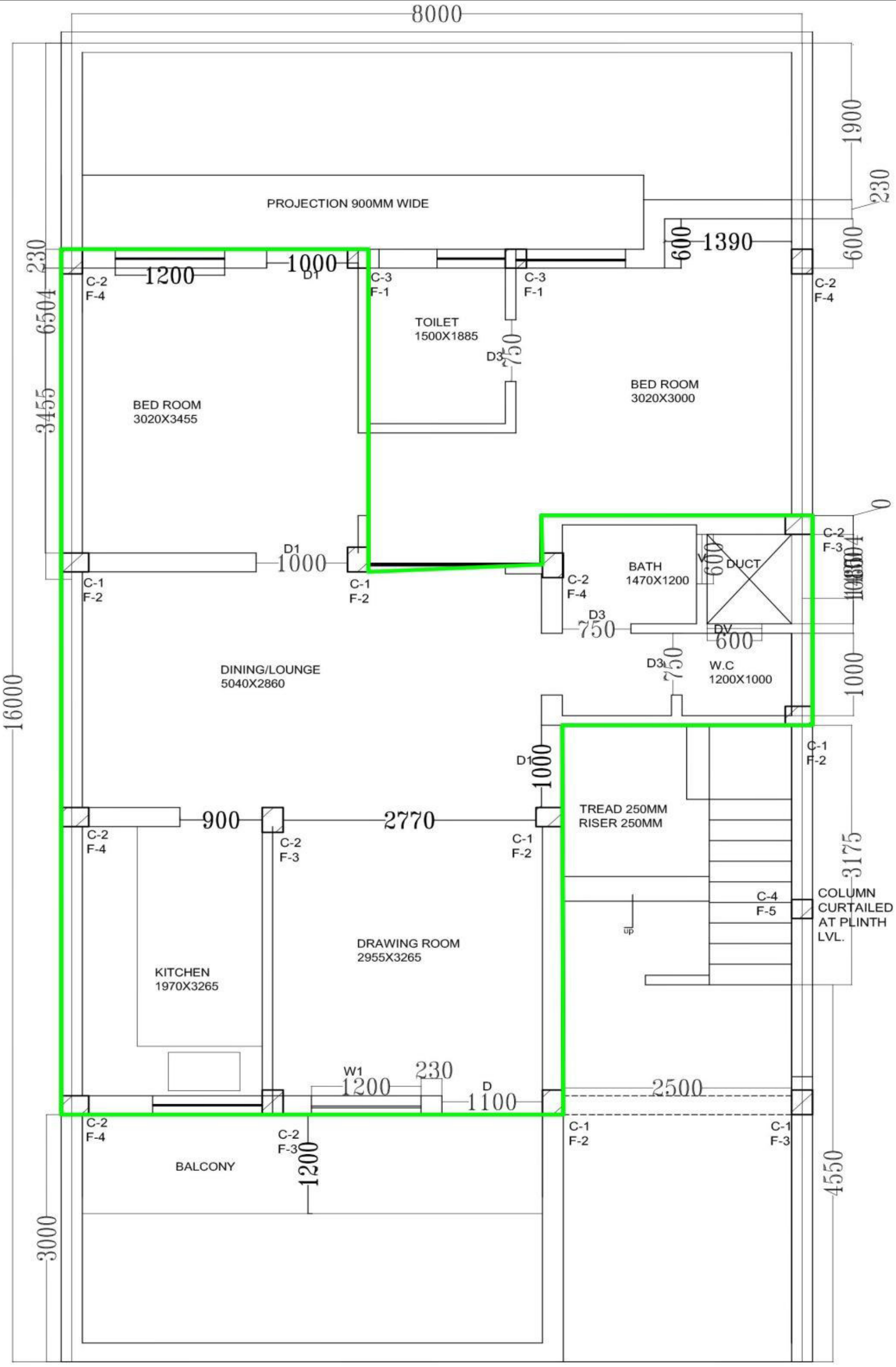

HIG 8.00 X 16.00
GROUND FLOOR PLAN

Builtup Area = 46.93 Sqm

Plot Area = 128.00 Sqm

आवेदक का फोटो

सभी आवेदकों के लिए

शपथ पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु. ....वर्ष, जाति................................ निवासी ....एत्दद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ किः–

1. मैं भारत का/की नागरिक हूं।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय–समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
3. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईष्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

वेतन भोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/ संस्था (विभाग/संस्था का नाम) .... में.. पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2020–21 की सकल वार्षिक आय रुपये ....थी।

क्रमांक/दिनांक ....

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राईवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... जिला ....संभाग.............................राज्य ....जाति ....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

पंजीकरण राशि जमा कराने हेतु
आवेदन क्रमांक ....
बैंक खाता संख्या 1000000000000159
आई.एफ.एस.सी.कोड AUBL0002207

चालान

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, आषियाना ग्रीन के सामने, भिवाड़ी 301019

मण्डल कार्मिकों हेतु विषिष्ट पंजीकरण योजना 2021

1.	सेक्टर / कॉलोनी का नाम	:	**अरावली विहार, भिवाड़ी**
2.	योजना का नाम	:	**मण्डल कार्मिकों हेतु विषिष्ट पंजीकरण योजना 2021**
3.	आवेदक/आवेदिका का नाम	:	....
4.	पत्र व्यवहार का पता	:	....
5.	बैंक अकाउन्ट नम्बर आई.एफ.एस.सी.कोड दिनांक	: :	....
6.	पंजीकरण राशि (अंकों में) (शब्दो में)	:	रू0 .... रूपये ....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक द्वारा भरा जावें

राजस्थान आवासन मण्डल

आवेदन पत्र परीक्षण सूची

मण्डल कार्मिकों हेतु विषिष्ट पंजीकरण योजना 2021

क्र.सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु			आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु	
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथास्थान अपलोड कर दिया है?	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अपलोड की गई है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण– स्वरूप दस्तावेज अपलोड है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति अपलोड की है?	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र अपलोड किया है?	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र अपलोड है?	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	
12.	क्या वाछिंत राशि जमा है?	हॉ / नहीं		हॉ / नहीं	

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
2. आवेदक का ग्रुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांग/पुरस्कृत /पदक
3. आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
4. अन्य टिप्पणी...

क.सहायक कार्यालय अधीक्षक स.आवासन अधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक

मूल्य : 354/–

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : आवासीय अभियन्ता, आषियाना ग्रीन के सामने, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भिवाड़ी 301019

मण्डल कार्मिकों हेतु विषिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2021
उच्च आय वर्ग हेतु

आवेदक/आवेदिका का नवीनतम फोटो

आवेदन–पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक ....

1	आवेदक /आवेदिका का नाम (आवेदक स्वयं का नाम स्पष्ट अंकित करे इसमें किसी प्रकार की काट छांट नही करें)	श्री/श्रीमती..
2	पिता/पति का नाम (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काट छांट नही करें)	श्री..
3	जन्म तिथि	
4	राष्ट्रीयता	
5	स्वयं की पहचान हेतु वांछित दस्तावेज (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	पैनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ आधारकार्ड/पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेन्स / बिजली पानी/ टेलीफोन बिल/ अन्य फोटो युक्त मान्य दस्तावेज..
6	भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (आधार नम्बर)	....
7	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करे (आवेदक कॉलम की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की काट छांट नही करें)	वैतनिक
8	आवेदक का पता (दस्तावेज संलग्न करें) (मण्डल द्वारा इसी पते पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)	....दूरभाषनं. ....मोबाईल नं............ ....ई–मेल पता... ....
9	प्रथम वरियता/द्वितीय वरियता	
10	आवेदक/आवेदकों की कुल वार्षिक आय (रू. में) (वित्तीय वर्ष 2020–21) पैन नम्बर, (लागू हो तो)	
	(अ) स्वयं की	
	(ब) पत्नी / पति की आय	
	(स) आश्रितों की आय	
	कुल वार्षिक आय : (अ+ब+स)	
11	यदि आवेदक पूर्व पंजीकरण प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करे।	
	क. आय वर्ग जिसमें पंजीकरण हुआ है।	
	ख. पंजीकरण का वर्ष	
	ग. वरीयता क्रमांकः	
12	पंजीकरण राशि रू.	वर्तमान आवंटित आय वर्ग

13	बैंक खाता सं. आई.एफ.एस.सी. कोड	.... दिनांक................................रू......................... ....
14	निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित (√) करें (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
	जी–1 : वैतनिक श्रेणी वैतनिक श्रेणी–प्रथम;ळ.1.प्द्ध ;केन्द्रसरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड / निगम के कर्मचारी / प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारीद्ध वैतनिक श्रेणी–द्वितीय;ळ.1.प्प्द्ध;राज्य सरकार के कर्मचारी / अधिकारीद्ध	जी–2 : अवैतनिक श्रेणी अवैतनिक श्रेणी–प्रथम ;ळ.2.प्द्ध–सामान्य अवैतनिक श्रेणी–द्वितीय ;ळ.2.प्प्द्ध–प्रोफेषनल (केवल प्राफेषनल एडवोकेट. चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवंप्राईवेट डॉक्टर्स)
	जी–3 : राजस्थान आवासन मण्डल कार्मिक;बोर्डकर्मचारीद्ध	जी–4 : अनुसूचित जाति
	जी–5 : अनुसूचित जनजाति	जी–6 : वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक / सांसद / अधिस्वीकृत पत्रकार
	जी–7 : स्वतंत्रता सैनानी	जी–8 : भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं
	जी–9 : दिव्यांग;अंधता / शारीरिक / मूकबधिरद्ध	जी–10 : वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐषियाड / ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाडी
15	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा में बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक – रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैंक ऑनलाईन संलग्न करेगे।:– आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण).................................... खाता संख्या (सम्पूर्ण).. ....खाते काप्रकार (बचत / चालू / एन.आर.आई):.. बैंक शाखा का पताः.............. .... मोबाइल नम्बर.............	
16	ऑनलाईन संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र :	
	(अ) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ब) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (स) पते का प्रमाण–पत्र / मूल निवास प्रमाण–पत्र। (द) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिका। (य) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (र) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (ल) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (व) स्वयं अथवा पति–पत्नि अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि / भवन न होने संबंधी शपथ पत्र । (अ) अन्य वाछिंत प्रमाण पत्र / शपथ पत्र।	
17	घोषणा :–	
	1. मै इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है।	
	2. मै इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबंन्धों एवं शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मै उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।	
	3.मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर क्षेत्र, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कररहा हूँ, में पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्रीहोल्ड या पट्टे के आधार पर भूखण्ड या आवास नहीं है।	
	4. मेरा या मेरे आश्रितों को आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य / विशिष्ट / स्ववित्तपोषित पंजीकरण योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में मण्डल से किसी भी श्रेणी / माप का आवास आरक्षित / आवंटित नहीं है।	
	5. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मै आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूं तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।	

	6. मकान का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् मकान में होने वाली टूट फूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।
	7. मेरी मृत्यु होने की दशा में, मै निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमान क्रम में नाम निर्देशित करता / करती हूँ:–
	क्र.सं. नाम आयु संबंध
	प्रथम
	द्वितीय
	तृतीय

आवेदक के हस्ताक्षर

(राजपत्रित अधिकारी या नोटेरी
पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करें)

स्थान..
दिनांक..

MANSHA CHOWK
ROAD 45.0 M. WIDE
PLOT- P COMMERCIAL COMPLEX
PROPOSED 9 NOS. HOUSES FOR BOARD EMPLOYEE
NEW REGISTRATION SCHEME 2021
KEY PLAN (SCALE :- 1CM = 1000 M)
N
PROPOSED LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL SCHEME ARAVALI VIHAR, PH-I, II & III, BHIWADI
APPROVED IN :-
103 P.C. MEETING HELD ON DATED 06.01.2006 (PH-II)
130 P.C. MEETING HELD ON DATED 20.10.2011 (PH-III, EWS-1120, LIG-544, MIG-A 320 (G+3) FLATS)
138 P.C. MEETING HELD ON DATED 18.03.2013 (PH-III B.E HOUSES, HIG-251 & MIG-B 62)
PROPOSED LAYOUT PLAN OF RESIDENTIAL SCHEME AT MILKPUR GURJAR , BHIWARI
DRG. No. - RHB/HQ/2007
SCALE = 1 : 1000
DATE :- 2 JULY, 2007
FILE No. :-
DEALT :- S.P. VERMA
CHECKED :- M. L. BALODIYA
(KAILASH NARAYAN) ASST. TOWN PLANNER
(R.K. VIJAYVARGIA) DEPUTY TOWN PLANNER
(M. SEN) SENIOR TOWN PLANNER)
(C.M. MEENA) HOUSING COMMISSIONER
RAJASTHAN HOUSING BOARD

हमारी खुशी का संसार
हमारा अपना घर

RHB

राजस्थान आवासन मण्डल

'आवास भवन' जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

फोन : 0141-2740812, 2740113, 2740614

E-mail : rebhiwadi.rhb@rajasthan.gov.in | Website : www.urban.rajasthan.gov.in/rhb